

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

बड़जलास गाविन्द सिंह भीवर, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या- 48/2022/आवेदन अंश धारा 110, 111, 128 राज 0 मू-राजस्व अधिनियम 1956

नानूराम पुत्र नोलाराम जाति जाट निवासी ग्राम खाचरियावास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।


मन्नी देवी पत्नि भवरलाल जाति जाट निवासीनी ग्राम खाचरियावास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

भोलीदेवी पत्नि झूथाराम जाति जाट निवासीनी ग्राम खाचरियावास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

- प्रार्थीयण

ब न म

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2. गोपाल पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी बगडियोकावास तन चैनपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
3. भगवाना पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी बगडियोकावास तन चैनपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
4. अमराराम पुत्र बक्साराम जाति जाट निवासी सामोता की ढाणी तन चैनपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
5. कमला देवी पुत्री पदमाराम जाति जाट निवासीनी सामोता की ढाणी तन चैनपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
6. किशोर पुत्र कालूराम नाबालिग जरिये संरक्षक माता नारायणी पत्नि कालूराम जाति जाट निवासी सामोता की ढाणी तन चैनपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
7. गंगाबक्स पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी सामोता की ढाणी तन चैनपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
8. गंगाराम पुत्र श्योजीराम जाति जाट निवासी सामोता की ढाणी तन चैनपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
9. गिरधारी पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी सामोता की ढाणी तन चैनपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
10. शंकरलाल पुत्र गोदाराम जाति जाट निवासी सामोता की ढाणी तन चैनपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
11. पप्पू पुत्र गोदाराम जाति जाट निवासी सामोता की ढाणी तन चैनपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
12. मंजूदेवी पुत्री गोदाराम जाति जाट निवासीनी सामोता की ढाणी तन चैनपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
13. संजूदेवी पुत्री गोदाराम जाति जाट निवासीनी सामोता की ढाणी तन चैनपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।


उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर


- लक्ष्मणशाम पुत्र बकराराम जाति जाट निवासी सामोला की डाणी तन चैनपुरा तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर।
1. लक्ष्मणशाम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी सामोला की डाणी तन चैनपुरा तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर।
 2. लक्ष्मणशाम पुत्र भूशराम जाति जाट निवासी सामोला की डाणी तन चैनपुरा तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर।
 3. श्रवण पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी सामोला की डाणी तन चैनपुरा तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर।
 4. सुण्डाराम पुत्र जोधाराम जाति जाट निवासी सामोला की डाणी तन चैनपुरा तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर।
 5. सुरजीदेवी पत्नि बकराराम जाति जाट निवासी सामोला की डाणी तन चैनपुरा तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर।
 6. अमरीदेवी पत्नि हरदेव जाति जाट निवासी सामोला की डाणी तन चैनपुरा तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर।
 7. अजय पुत्र हरदेव जाति जाट निवासी सामोला की डाणी तन चैनपुरा तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर।
 8. हीरालाल पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी सामोला की डाणी तन चैनपुरा तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर।
 9. अनामिका पुत्री राधेश्याम नाबालिग जरिये संरक्षिका माता मैना देवी जाति कीर निवासीनी खाचरियावास तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर।
 10. अमरचन्द पुत्र गंगाबक्स जाति कीर निवासी खाचरियावास तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर।
 11. आनूडी पत्नि भूशराम जाति कीर निवासीनी खाचरियावास तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर।
 12. आरती पुत्री राधेश्याम नाबालिग जरिये संरक्षिका माता मैनादेवी जाति कीर निवासीनी खाचरियावास तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर।
 13. कैलाशीदेवी पत्नि गंगाबक्स जाति कीर निवासीनी खाचरियावास तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर।
 14. गजानन्द पुत्र गंगाबक्स जाति कीर निवासी खाचरियावास तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर।
 15. गोविन्दराम पुत्र मोहनलाल जाति कीर निवासी खाचरियावास तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर।
 16. धीराराम पुत्र मोहनलाल जाति कीर निवासी खाचरियावास तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर।
 17. जीवन पुत्र भूशराम जाति कीर निवासी खाचरियावास तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर।
 18. दिनेश पुत्र प्रमूदबाल जाति कीर निवासी खाचरियावास तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर।



1. दीपक पुत्र राधेश्याम नाबालिग जरिये संरक्षिका माता मैनादेवी जाति कीर निवासीनी खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
3. प्रकाश पुत्र प्रभूदयाल जाति कीर निवासी खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
4. भगवानसहाय पुत्र गंगाबक्स जाति कीर निवासी खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
5. मन्नी देवी पत्नि प्रभुदयाल जाति कीर निवासीनी खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
36. मैना देवी पत्नि राधेश्याम जाति कीर निवासीनी खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
57. महेश पुत्र प्रभूदयाल जाति कीर निवासी खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
58. मोती पुत्र भूराराम जाति कीर निवासी खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
59. श्रवणलाल पुत्र गंगाबक्स जाति कीर निवासी खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
60. हजारीलाल पुत्र गंगाबक्स जाति कीर निवासी खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
61. केशरीदेवी पत्नि सांवरमल जाति जाट निवासीनी खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
62. प्रदीप बाज्या उर्फ नानूराम पुत्र सांवरमल जाति जाट निवासी खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
63. फूलचन्द पुत्र भागीरथमल जाति जाट निवासी खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
64. मुकेश कुमार सांवरमल जाति जाट निवासी खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
65. प्रेमदेवी पत्नि मालचन्द जाति कीर निवासीनी खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
66. मालूराम पुत्र पूर्णमल जाति कीर निवासी खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
67. गोपाललाल पुत्र गुल्लाराम जाति जाट निवासी खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
68. महेन्द्र कुमार पुत्र गुल्लाराम जाति जाट निवासी खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
69. कैलाशचन्द पुत्र रुडाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ग्राम खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
70. कालूराम पुत्र रुडाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ग्राम खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।



- दीनदयाल पुत्र रुडाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ग्राम खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
1. गोवर्धनलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति घोबी निवासी ग्राम खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2. प्रभूदयाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति घोबी निवासी ग्राम खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
3. फूसाराम पुत्र घीसालाल जाति घोबी निवासी ग्राम खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
4. रामगोपाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति घोबी निवासी ग्राम खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
5. लालाराम पुत्र घीसालाल जाति घोबी निवासी ग्राम खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
67. घीसीदेवी पत्नि राधेश्याम जाति डाकोत निवासीनी ग्राम खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
68. जीवणीदेवी पत्नि बजरंगलाल जाति डाकोत निवासीनी ग्राम खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
69. जितेन्द्र पुत्र बजरंगलाल जाति डाकोत निवासी ग्राम खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
70. अनिता पुत्री बजरंगलाल जाति डाकोत निवासीनी ग्राम खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
71. मोनू पुत्री बजरंगलाल जाति डाकोत निवासीनी ग्राम खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
72. पूजा पुत्री बजरंगलाल जाति डाकोत निवासीनी ग्राम खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
73. बालकिशन पुत्र काना जाति डाकोत निवासी ग्राम खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
74. उषादेवी पुत्री मखनलाल जाति डाकोत निवासीनी ग्राम खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
75. मालीदेवी पुत्री काना जाति डाकोत निवासीनी ग्राम खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
76. संतरादेवी पुत्री काना जाति डाकोत निवासीनी ग्राम खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
77. प्रेमदेवी पुत्री काना जाति डाकोत निवासीनी ग्राम खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
78. मंजूदेवी पुत्री काना जाति डाकोत निवासीनी ग्राम खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
79. पिंकीदेवी पुत्री काना जाति डाकोत निवासीनी ग्राम खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।


उपरोक्त अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर

महेश पुत्र राधेश्याम जाति डाकोत निवासी ग्राम खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

- मूर्ति मंदिर श्री श्याम बिहारी जी सा खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर जरिये पुजारी सीताराम शर्मा पुत्र गोविन्दराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2. सोनीदेवी पुत्र जोधाराम जाति जाट निवासीनी सामोता की ढाणी तन चैनपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
 3. कमलादेवी पुत्री जोधाराम जाति जाट निवासीनी सामोता की ढाणी तन चैनपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
 94. मंगलाराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी सामोता की ढाणी तन चैनपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
 95. श्रृंगारीदेवी पुत्री भूराराम जाति जाट निवासीनी सामोता की ढाणी तन चैनपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
 96. भोलीदेवी पुत्री भूराराम जाति जाट निवासीनी सामोता की ढाणी तन चैनपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
 97. पतासीदेवी पुत्री भूराराम जाति जाट निवासीनी सामोता की ढाणी तन चैनपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
 98. कालूराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी सामोता की ढाणी तन चैनपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
 99. मालीदेवी पुत्री उदाराम जाति जाट निवासीनी सामोता की ढाणी तन चैनपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

— अप्रार्थीगण

आवेदन बाबत अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान
भू-राजस्व अधिनियम 1956 (पत्थरगढी)

उपरिस्थिति—

1. श्री नन्दलाल धायल व रतनलाल पलसानिया वकील प्रार्थीगण की ओर सें।
2. अप्रार्थीसंख्या 4, 19, 30, 33, 37, व 41 की ओर सें।
3. अप्रार्थीगण संख्या 47, 48, 50, 53, 54, 59, 63, 67, 70, 91 की ओर सें।।
4. शेष अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

निर्णय

दिनांक— 11.09.2023

1. आवेदन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम खाचरियावास पटवार हल्का खाचरियावास भूअ.नि. क्षेत्र खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में प्रार्थीगण क हक हिस्से एवं खातेदारी की कृषि भूमि हाल ख.नं. 1280, 1298 किता 2 कुल रकबा 6.4100 हैक्टेयर एवं ख.नं. 1280/1308 किता एक कुल रकबा 0.7700 हैक्टेयर अवस्थित है। उपरोक्त




दांतारामगढ जिला सीकर

वर्णित प्रार्थीगण की कृषि भूमियों के चारों तरफ अप्रार्थीगण की कृषि भूमि (1) राजस्व ग्राम बगडियो का बास के ख.नं. 176, 177, 178 (2) राजस्व ग्राम चैनपुरा के ख.नं. 179 (3) राजस्व ग्राम रामजीपुरा के ख.नं. 668 (4) राजस्व ग्राम खाघरियावास के ख.नं. 1222, 1224, 1226, 1226/1355, 1238, 1238/1431, 1239, 1240, 1241, 1279, 1281, 1288, 1293 ता 1297 अवस्थित है। उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की भूमियों के मध्य की सीमा पर पत्थरगढी नहीं की हुयी है। प्रार्थीगण मौके पर अन्दाज से कायम सीमा पर काबिज है। उक्त प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियों का प्रार्थीगण के आवेदन पर तहसीलदार महोदय दांतारामगढ द्वारा गठित टीम द्वारा सीमाज्ञान किया जा चुका है तथा अब मौके पर मुताबिक सीमाज्ञान पुख्ता पत्थरगढी होनी है किन्तु अप्रार्थीगण संख्या में अधिक होने एवं प्रार्थीगण की भूमियों के चारों तरफ के पडोसी खातेदारान होने से लाठी के बल पर प्रार्थीगण की भूमियों को हडपने की नियत बना रखी है तथा इसी वजह से आवे दिन प्रार्थीगण की भूमियों की सीमा पर हस्तक्षेप करते रहते है जबकि अप्रार्थीगण को उपरोक्त वर्णित भूमियों के मध्य की सीमा पर मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट सीव नीव कायम की जाकर पत्थरगढी न हो जाये तब तक महज कात्पनिक रूप से मौके पर किसी प्रकार का कृत्य कर मौका स्थिति को तब्दिल करने का कोई कानूनी अधिकार अप्रार्थीगण को नहीं है इसके बावजूद अप्रार्थीगण संख्या में अधिक होने से लाठी के बल पर प्रार्थीगण की भूमियों की पुख्ता पत्थरगढी न होने का फायदा उठाकर मौका मुस्त में तब्दिली करने पर आमादा है इसलिए प्रार्थीगण को उपरोक्त वर्णित भूमियों के मध्य सीमा पर मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट सीमा विन्धु कायम/पत्थरगढी करवाना चाहते है। तदहेतु प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का तब्दिल कराना लाजिम हुआ है। अतः आवेदन पेश कर अत में यह इस्तदुआ खाती गई कि आवेदन स्वीकार कर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि आराजिवात के मध्य सीमा पर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी करवायी जाने के आदेश प्रदान किया जाना प्राथनीय है।



2. आवेदन पेश होने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 4, 19, 30, 33, 37 व 41 की ओर से जरिये वकील श्री आनन्द राइ हाजिर तथा अप्रार्थीगण संख्या 47, 48, 50, 53, 54, 59, 63, 67, 70 व 91 की ओर से वकील श्री अनिल शर्मा हाजिर। शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थीगण संख्या 47, 48, 50, 53, 54, 59, 63, 67, 70 व 91 की ओर से वकील श्री अनिल शर्मा को जबाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी जबाब पेश नहीं करने पर जबाब बन्द किया गया तथा अप्रार्थीगण संख्या 4, 19, 30, 33, 37 व 41 की ओर से जरिये वकील श्री आनन्द राइ ने जबाब आवेदन पेश कर कथन किया कि उपरोक्त वर्णित भूमि ख.नं. 1298 रकबा 0.4100 हेक्टर भूमि जो अप्रार्थीगण की भूमियों के पश्चिम दिशा में अवस्थित है जो कदीमी से ही बजड सिवायचक के रूप में है और आमजन उसका उपयोग अपने पशुधन चराने व आम रास्ते के रूप में आने जाने के लिये उपयोग उपभोग निर्विवाद रूप से करते चले आ रहे है। और उसी अनुसार उक्त भूमि ख.नं. 1298 रकबा 0.4100 हेक्टर भूमि को सिवायचक व आम रास्ते के रूप में दर्ज होनी चाहिये जो भूमियों गलत रूप से प्रार्थीगणों के नाम दर्ज हो रखी है। जिसकी उदघोषणा व रिकार्ड दुरुस्ती बाबत जबाबदातागणों ने एक दावा माननीय न्यायालय में ही बउनवानी "रतनलाल बनाम भंवरलाल" मुकदमा नम्बर 129/2007 पेश कर रखा है। जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। इसलिये उक्त विचाराधीन वाद के निर्णय के पूर्व आवेदकगण द्वारा तथ्यों को छुपाकर सीमा चिन्ह कायम कर पत्थरगढी करवाने का जो उक्त आवेदन पेश किया है वह प्रथम दृष्टया ही मय हर्जा खर्चा सहित खारिज होने योग्य है। उक्त वाद के साथ ही अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी "रतनलाल बनाम भंवरलाल" मुकदमा नम्बर 111/2007 पेश किया गया है जिसका फैसला दिनांक 02.01.2012 को किया जाकर भूमि ख.नं. 1298 रकबा 0.4100 हेक्टर की मौके की यथार्थिथिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया हुआ है। जबकि आवेदक उक्त सीमाज्ञान, पत्थरगढी आवेदन के बहाने से तथ्यों को छुपाते हुये सार्वजनिक उपयोग उपभोग में आ रही भूमियों पर कब्जा कर मौका स्थिति में


उपस्थित अधिकारी राजारामपुर जिला सीकर

परिवर्तन करने पर आमादा है, जिसका आवेदकगण को कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है। आवेदकगणों ने तथ्यों को छुपाते हुए उक्त गलत आवेदन पेश किया है। जो मय हर्जा खर्चा खारिज होने योग्य है। आवेदकगण ने उक्त आवेदन में जिन भूमि खनं की सीमाज्ञान/पत्थरगढी का निवेदन किया है उनमें से भूमि खनं 1298 रकबा 0.4100 हैक्टर जो बजड/सिवायचक आम रास्ते व गाँव के पशुधन चरने के काम में आती है उसको राजकीय सिवायचक आम रास्ते की भूमि उदघोषित करवाने हेतु श्रीमान जी के न्यायालय में ही बजडवानी दावा "रतनलाल बनाम भंवरलाल" मुकदमा नम्बर 129/2007 विचाराधीन चल रहा है, तथा उक्त मुकदमें के साथ पेश अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र "रतनलाल बनाम भंवरलाल" मुकदमा संख्या 111/2007 पेश किया गया जिसका फैसला माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 02.01.2012 को किया जाकर भूमि खनं 1298 रकबा 0.4100 हैक्टर की मौके की स्थिति तादौराने दावा यथास्थिति बनाये रखने के आदेश जारी किये हुये है। आवेदक द्वारा उक्त महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाते हुए उक्त सीमाज्ञान/पत्थरगढी का आवेदन पेश किया हुआ है जो प्रथम दृष्टया ही मय हर्जा खर्चा सहित खारिज होने योग्य है।

3. आवेदन अंतर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों तथा सीमाज्ञान का अवलोकन किया गया। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने आग्रह किया कि मुताबिक सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किया जावे। दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण श्री आनन्द राड ने आग्रह किया कि आवेदकगण उक्त सीमाज्ञान, पत्थरगढी आवेदन के बहाने से तथ्यों को छुपाते हुये सार्वजनिक उपयोग उपभोग में आ रही भूमियों पर कब्जा कर मौका स्थिति में परिवर्तन करने पर आमादा है, जिसका आवेदकगण को कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है तथा आवेदकगणों ने तथ्यों को छुपाते हुए उक्त गलत आवेदन पेश किया है। जो मय हर्जा खर्चा खारिज होने योग्य है। दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण श्री अनिल शर्मा ने आग्रह किया कि मुताबिक सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। खंडन में वकील प्रार्थी ने आग्रह किया कि सरकारी भूमि में


रतनलाल बनाम भंवरलाल

भूमिधारक तहसीलदार होता है जो उक्त प्रकरण में आजतक कोई जबाब पेश नहीं किया है। इसलिए कोई राजहित नहीं है। आवेदन पर सुनी गई बहस व विधिक प्रावधानों पर मनन किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने Ramjas Foundation and another v/s union of india and others {2010} 14 ssc 38 में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है। "21 The Principle that a Person who does not come to the court with clean hands is not entitled to be heard on the merits of his grievance and in any case, such person is not entitled to any relief is applicable not only to the petitions filed under art. 32, 226 and 136 of the constitution but also to the cases instituted in other courts and judicial forums" वर्तमान प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध में पूर्व में न्यायालय में वाद संस्थित है व स्थगन आदेश भी जारी किया हुआ है जिस संबंध में प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख नहीं किया है। अतः Material Facts का Suppression किया है व Doctrine of clean hands की पालना नहीं की गई है व वर्तमान न्यायालय द्वारा पूर्व में एक वाद में मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश प्रभावी है। अतः उपरोक्त दोनो विवेचनो के आधार पर प्रार्थीगण आवेदन अं० धारा 110, 111, 128 राज० भू-राजस्व अधिनियम 1956 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.09.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(गोविन्द सिंह भींचर)

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड आगारी, दांतारामगढ